ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बर:–314/2017 प्रार्थना पत्र
रमेश पिता मिठू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थी

बनाम

श्री रामचन्द्र पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री कैलाश पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री भगवान पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री राधेश्याम पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री बंशीलाल पिता मांगू बलाई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री मंजूर हुसैन पिता जहूर मोहम्मद मुसलमान, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी रतनलाल उर्फ कालू पिता मोहनलाल आचार्य, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला „
ी कन्हैयालाल पिता किशनलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी हजारी पिता श्री राम रेगर, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री नाथूलाल पिता बालूलाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री मोहन पिता टोडू अचारज, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री परथू पिता टोडू अचारज, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सोहन पिता टोडू अचारज, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री केशू पिता गोकल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री दल्ला पिता गोकल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री प्यारचन्द्र पिता हजारी गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री लालू पिता हजारी गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गुलाब पिता हजारी गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री कल्याण पिता नाथू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री ओमप्रकाश पिता नाथू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री कैलाश पिता नाथू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री छोटू पिता नाथू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ीमति विमला पुत्री नाथू हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री देवा पिता मूला हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री करमा पिता मूला हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री दोला पिता मूला हरिजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–31.7.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का सील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8859 रकबा1 बीघा 7 बिस्वा, 9489/8863 3 बीघा 5 बिस्वा, 9490/8833 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

रगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2017 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 की ओर से अधिकार पत्र श कुमार चौधरी, एडवोकेट ने दिनांक 28.8.2017 को प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया । विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, व 19 से 27 को कितनी ही । विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 10.1.2018 को तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 16, 17 व 18 की ओर से ं ही जवाब प्रस्तुत किये जाने से शामिल पत्रावली किया गया हैं। विपक्षी संख्या 16, 17, व 18 ने ा पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने न तो सीमा ज्ञान नहीं कराये जाने रण व जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। वकील विपक्षी संख्या 1 को कितने वसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 17.7.2019 को जवाब कया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 से होती हैं। व विपक्षी संख्या व 18 ने भी अपने जवाब के प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना पत्र को किये जाने की प्रार्थना की हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 को सिद्व में ल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner